**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**

**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 1934/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2064/2026

CNR: RJHC020856392026 | URN: CRLAS / 3587U / 2026

1. Pappu @ Pappulal S/o Bhanwarlal, Aged About 52 Years, Resident Of Bhaish Ka Tanda Garda, Police Station Kanwas, District Kota Rural (Rajasthan)
   (Presently On Bail For Period Of 30 Days From 21-08-2026)
2. Prakash S/o Bhanwarlal, Aged About 41 Years, Resident Of Bhaish Ka Tanda Garda, Police Station Kanwas, District Kota Rural (Rajasthan)
   (Presently On Bail For Period Of 30 Days From 21-08-2026)
3. Mohanlal S/o Pema @ Premalal, Aged About 32 Years, Resident Of Chawda Ka Tanda Garda, Police Station Kanwas, District Kota Rural (Rajasthan).
   (Presently On Bail For Period Of 30 Days From 21-08-2026)
4. Bahadursingh S/o Bhanwarlal, Aged About 40 Years, Resident Of Bhaish Ka Tanda Garda, Police Station Kanwas, District Kota Rural (Rajasthan).
   (Presently On Bail For Period Of 30 Days From 21-08-2026)
5. Durgalal S/o Mansingh, Aged About 50 Years, Resident Of Bhaish Ka Tanda Garda, Police Station Kanwas, District Kota Rural (Rajasthan).
   (Presently On Bail For Period Of 30 Days From 21-08-2026)
6. Biharilal S/o Motilal, Aged About 55 Years, Resident Of Bhaish Ka Tanda Garda, Police Station Kanwas, District Kota Rural (Rajasthan).
   (Presently On Bail For Period Of 30 Days From 21-08-2026)
7. Prem @ Pema S/o Narayan, Aged About 60 Years,

Resident Of Chawda Ka Tanda Garda, Police Station Kanwas, District Kota Rural (Rajasthan).

(Presently On Bail For Period Of 30 Days From 21-08-2026)

----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P

----Respondent

---

For Appellant(s) : Ms. Akansha Saxena, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Jitendra Singh Rathore, PP

---

**HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL**
**Order**

**10/09/2026**

1. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **1. पप्पू उर्फ पप्पूलाल पुत्र भंवरलाल, 2. प्रकाश पुत्र भंवरलाल, 3. मोहनलाल पुत्र पेमा उर्फ प्रेमालाल, 4. बहादुरसिंह पुत्र भंवरलाल, 5. दुर्गालाल पुत्र मानसिंह, 6. बिहारीलाल पुत्र मोतीलाल, 7. प्रेम उर्फ पेमा पुत्र नारायण** की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय– **अपर सेशन न्यायाधीश, झालावाड, जिला झालावाड (राज.)** के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या– **23/2022,** उनवान **राज. राज्य बनाम पप्पू उर्फ पप्पूलाल वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **21.08.2026,** जिसके द्वारा प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **पप्पू उर्फ पप्पूलाल एवं प्रेम उर्फ पेमा** को अपराध अन्तर्गत धारा **148, 308 भा.दं.सं.** एवं शेष प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **प्रकाश, मोहनलाल, बहादुरसिंह, दुर्गालाल एवं बिहारीलाल** को अपराध अन्तर्गत धारा 148, 308 सपठित धारा 149 में दोषसिद्ध कर निम्न दंडादेश पारित किया है, के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है:–

| **प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पप्पू उर्फ पप्पूलाल एवं प्रेम उर्फ पेमा** | | | |
|---|---|---|---|
| **अन्तर्गत धारा** | **सजा** | **अर्थदण्ड** | **अदम अदायगी अर्थदण्ड** |
| **148 भा.दं.सं.** | **02 वर्ष का कठोर** | **1,000/– रुपये** | **01 माह का अतिरिक्त** |

| | कारावास | | साधारण कारावास |
|---|---|---|---|
| 308 भा.दं.सं. | 03 वर्ष का कठोर कारावास | 10,000/– रुपये | 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास |
| **प्रार्थीगण–अभियुक्तगण प्रकाश, मोहनलाल, बहादुरसिंह, दुर्गालाल एवं बिहारीलाल** | | | |
| **अन्तर्गत धारा** | **सजा** | **अर्थदण्ड** | **अदम अदायगी अर्थदण्ड** |
| 148 भा.दं.सं. | 02 वर्ष का कठोर कारावास | 1,000/– रुपये | 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास |
| 308/149 भा.दं.सं. | 03 वर्ष का कठोर कारावास | 10,000/– रुपये | 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास |

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से नियम 311 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3. बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का दौराने बहस कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण निर्दोष हैं एवं उन्हें इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, उनका यह भी कथन है कि उन्हें दोषसिद्ध करने हेतु लेशमात्र भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं विद्वान विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का गहनतापूर्वक विवेचन किए बिना ही उक्त आलौच्य आदेश दिनांक **21.08.2026** पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण क्रॉस केस से बचने हेतु दर्ज कराया गया है। प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं अन्य प्रस्तुत गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। उनका यह भी कथन है कि गवाहान के कथनों से पत्थर लगने से चोटें आना प्रकट हुआ है, किन्तु किस व्यक्ति द्वारा फेंके गए पत्थर से आहतगण को चोटें आई है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण विचारण के दौरान जमानत पर आजाद थे एवं विचारण न्यायालय द्वारा उनकी सजा 30 दिवस के लिए अस्थायी तौर पर स्थगित की हुई है, उनके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः न्यायहित में

उनका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा किया जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. सुना गया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील के निर्णयार्थ महत्वपूर्ण तथ्य एवं विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है, अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **1. पप्पू उर्फ पप्पूलाल पुत्र भंवरलाल, 2. प्रकाश पुत्र भंवरलाल, 3. मोहनलाल पुत्र पेमा उर्फ प्रेमालाल, 4. बहादुरसिंह पुत्र भंवरलाल, 5. दुर्गालाल पुत्र मानसिंह, 6. बिहारीलाल पुत्र मोतीलाल, 7. प्रेम उर्फ पेमा पुत्र नारायण** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000–25,000/–रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह इस न्यायालय में दिनांक **12.10.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए **''दण्डादेश''** (sentence) की क्रियान्विती को इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे एवं प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा कर दिया जाए।

1– कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण प्रत्येक माह की **पहली तारीख (अवकाश होने पर अगले दिन)** पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे।

2– कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित पुलिस थाने द्वारा इसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

3– कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने पर अभियोजन पक्ष यह जमानत आदेश निरस्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

4– कि यदि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण अपील के विचारण के दौरान अपना स्थायी निवास का पता बदलते हैं तो वे इस संबंध में लिखित में सूचना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता को जो कि उसके मामले में पैरवी कर रहे हैं को अविलम्ब देंगे।

9. आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वह प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलके इस न्यायालय को अविलंब प्रेषित करे।

(BHUWAN GOYAL),J

29/NIKITA